संख्या-192/2021/848रासनि/23-1-21-106रासनि/20

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 14 सितम्बर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 लेखाशीषक-5054 के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद के 02 मार्गों के स्वीकृत कार्य के संबंध में निर्गत आदेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु0-1) लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-992सी/02सी/आवंटन 5054(मूल/21-22, दिनांक 24.08.21 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद मुरादाबाद एवं शामली के कुल 04 मार्गों के कार्य हेतु शासनादेश सं0-177/2021/771रासनि/23-1-21-106रासनि/20, दिनांक 18.08.21 द्वारा कुल लागत रू0 459.85 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त शासनादेश की तालिका के क्रमांक-1 व 2 पर जनपद का नाम बिजनौर के स्थान पर मुरादाबाद टंकित हो गया है जिसे संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-177/2021/771रासनि/23-1-21-106रासनि/20, दिनांक 18.08.21 की तालिका के क्रमांक-1 व 2 पर अंकित जनपद का नाम मुरादाबाद के स्थान पर बिजनौर पढ़ा व समझा जाय।

4- विषयगत शासनादेश सं0-177/2021/771रासनि/23-1-21-106रासनि/20, दिनांक 18.08.21 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव ।

संख्या-192/2021/848रासनि (1)/23-1-21, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, मुरादाबाद/बिजनौर/शामली।
3. मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
7. वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
8. लोक निर्माण अनुभाग-10
9. नोडल अधिकारी(आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in